



2026:AHC:22595

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या 2172 वर्ष 2026

हीरा लाल और 9 अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: दिनेश कुमार पांडेय
: आजाद राय, सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, प्रयागराज मंडल, जिला प्रयागराज, को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 219 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका संख्या 00721 वर्ष 2020 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202002000000721) [ब्रह्मा प्रसाद और अन्य बनाम हीरा लाल और अन्य] पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
3. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों को आदेश से असंतुष्टि है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण परिस्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवर न्यायालय को उपरोक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निर्णय करने का निर्देश देने के लिए कोई तर्क दिया गया है, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2020 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, अवर न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, चार महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से करे, जब तक कोई विधिक बाधा न हो।
6. उपरोक्त दिशानिर्देशों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"